प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ::दिनांक: 19 दिसम्बर, 2016

विषय:- 'मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना' के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-879/दिशा-निर्देश/2016-17 दिनांक- 08.11.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना को शासनादेश संख्या-53/2016/949/58-2-2016-900(6)/2015, दिनांक: 02.11.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश में लागू किया जा चुका है। उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए ब्याज उपादान योजना के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-66/58-2-2013-10/2012, दिनांक: 21.01.2013 को मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना हेतु, इस शासनादेश की सीमा तक संशोधित करते हुए मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. मुख्य मंन्त्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निम्नलिखित उद्योग सम्मिलित होंगे :-

- फल एवं सब्जी, पुष्प, मसाले, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूम प्रसंस्करण।
- खाद्यान्न मिलिंग प्रसंस्करण (खाद्यान्न, दलहन और तिलहन)।
- कुछ कृषि उत्पाद जैसे-मिल्क पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद का प्रसंस्करण।
- मछली प्रसंस्करण।
- डबलरोटी, तिलहन, तैयार भोज्य पदार्थ, नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रैक्टेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण।
- बीयर।
- गैर शीरा आधारित अल्कोहल पेय।
- वातित जल/शीतल पेय।

.....2/-

http://sheasanadesh.up.nic.in

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।
- कोल्ड चेन, मूल्य सम्वर्द्धन तथा प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का सृजन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेण्टर एवं कलेक्शन सेण्टर की स्थापना।
- रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन।

3. इस मिशन के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनों हेतु स्थायी पूँजी निवेश का तात्पर्य भवन, प्लाण्ट, मशीनरी तथा परिसम्पत्तियों में किये गये ऐसे निवेश से है, जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री की जाती हो।

स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु पूर्व में प्रयोग की जा चुकी प्लाण्ट, मशीनरी तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों में किये गये निवेश को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4. प्रस्तावकों के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के प्राप्त प्रस्तावों को प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांन्त पर इस शर्त के अधीन अनुदान देय होगा कि प्रस्तावक द्वारा सभी औपचारिकतायें एवं अभिलेख पूर्ण कर दिये गये हों।

5. 'मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना' के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार प्रदेश में नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी:-

5.(1) खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना :

योजनान्तर्गत नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा स्थापित किये गये प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्टस पर होने वाले व्यय हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0-50.00 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.(2) कोल्ड चेन, मूल्य सम्वर्द्धन तथा प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का सृजन :

योजनान्तर्गत गैर बागवानी/बागवानी फसलों हेतु कोल्ड चेन, मूल्य सम्वर्द्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए स्थापित किये गये प्लांट, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से, अथवा वास्तविक दर से जो भी कम हो, अधिकतम 10 वर्षो हेतु अधिकतम रू0-1000 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

यह उपादान प्रथम 10 इकाईयों को ही, उनके व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि से अनुमन्य होगा।

5.(3) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी प्रोसेसिंग सेण्टर एवं कलेक्शन सेण्टर की स्थापना :

ग्रामीण क्षेत्रों में योजना को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्राइमरी प्रोसेसिंग सेण्टर एवं कलेक्शन सेण्टर हेतु स्थापित किये गये प्लांट, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्टस पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्षो हेतु अधिकतम रू0-50.00 लाख की सीमा तक केवल एक बार के लिए प्रतिपूर्ति की जायेगी।

.......3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

5.(4) रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन :

मिशन की आवश्यकता के दृष्टिगत योजनान्तर्गत रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन के क्रय पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्षो हेतु अधिकतम रू0 50 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.(5) रू0 25 करोड़ से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को निम्नांकित अतिरिक्त सुविधायें अनुमन्य होंगी:-

(i) निर्बाध विद्युत आपूर्ति :

निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु फीडर लाईन एवं सब-स्टेशन की स्थापना हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रू0 1.00 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ii) वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर की प्रतिपूर्ति :

प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों जिनमें स्थाई पूंजी निवेश रू0 25 करोड़ या अधिक हो, उनको प्रथम बिक्री की तिथि से उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्रीकर के योग्य समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन का 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, 10 वर्षो की अवधि तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5.(6) खाद्य प्रसंस्करण विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स चलाने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन:

राजकीय क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग टेक्नालोजी सम्बन्धी डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स चलाने हेतु विश्वविद्यालयों/राजकीय संस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं-यथा आधुनिक पुस्तकालय पायलेट प्लान्ट, प्रयोगशाला इक्विपमेन्ट के सृजन हेतु होने वाले व्यय पर अधिकतम धनराशि रू0 75.00 लाख की सीमा तक अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

5.(7) खाद्य प्रसंस्करण कौशल विकास:

5.(7)(1) उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के संस्थान, विकास एवं अनुसंधान संस्थान में उद्यमियों/प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के प्रस्तर- 3.12(4) में दी गयी व्यवस्था की सीमा तक उद्योगों की स्थापना तक सहयोग प्रदान किया जायेगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के प्रस्तर-3.12(4) के उक्त अंश निम्नवत है -:

'खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे-केन्द्रीय फूड टेक्नालोजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर डिफेन्स फूड रिसर्च लैब, मैसूर तथा राज्य एवं भारत सरकार के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों में उद्यमिता विकास हेतु विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान कराया

.....4/-

http://srasanadesh.up.nic.in

जायेगा। इस प्रकार के 10 दिवसीय एवं 20 नव उद्यमियों/ प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बन्धित संस्थान को रू0 1.00 लाख प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुदान की सुविधा सुलभ कराई जायेगी।'

प्रशिक्षण कार्यक्रम उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के प्रस्तर संख्या-3.12(4) में की गयी उपरोक्त व्यवस्था की सीमा तक कराया जायेगा।

5.(7)(2) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने वाली देश की शीर्ष संस्थाओं पर चयनित उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वास्तविक लागत के आधार पर यह सुविधा उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के प्रस्तर-3.12(4) में की गयी व्यवस्था की सीमा तक प्रदान की जायेगी।

5(8) परियोजना अवधि:-

मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना शासनादेश दिनांक: 02.11.2016 से 05 वर्षो की अवधि के लिए मान्य होगी। इस मिशन में निहित सहायता की सीमा तक उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 संशोधित मानी जायेगी।

5(9) प्रकीर्ण :-

यदि आवेदन करने वाली इकाई/संस्था द्वारा किसी अन्य संस्था अथवा भारत सरकार से अनुदान/सहायता प्राप्त की गयी है तो इस योजना के अन्तर्गत अनुमन्य मदों में दी जाने वाली सहायता में से पूर्व में उन्ही मदों में प्राप्त की गयी सहायता की धनराशि घटा कर अतिरिक्त अनुमन्य सहायता इस योजना से प्रदान की जायेगी।

संस्था/इकाई इस योजना से भिन्न मद हेतु भारत सरकार अथवा अन्य योजना/विभाग से अनुदान प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

6. मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना (सी0एम0एफ0पी0एम0)-मा0मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य खाद्य प्रसंस्करण विकास परिषद (एस0एफ0पी0डी0सी0) के अन्तर्गत संचालित की जायेगी।

7. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस0एल0ई0सी0): राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में संचालित होगी।

8. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 इस योजना के पदेन मिशन निदेशक होंगे तथा वह राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन परिषद (एस0एफ0पी0डी0सी0) एवं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (एस0एल0ई0सी0) के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा योजना के क्रियान्वयन संचालन अनुश्रवण हेतु समय-समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस इकाई में परियोजना के समयबद्व क्रियान्वयन, अनुश्रवण, अभिलेखों का रख-रखाव और ऑडिट आदि सम्बन्धी कार्यों के लिए राजकीय अधिकारी, कर्मचारी रखे जा सकेंगे तथा सेवा प्रदाता के माध्यम से न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार अधिकारी/स्टाफ वित्त विभाग की सहमति से रखे जा सकेंगे।

.....5/-

http://shasanadesh.up.nic.in

9. प्रदेश में मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना लागू होने के दिनांक: 02.11.2016 से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अन्तर्गत पूर्व में प्रदत्त सुविधाओं के प्रस्तर-3.2(1),3.2(2),3.3(1),3.12(1)(2)(3)(4)(5), 3.13(1)(2)(3)(4) उक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे।

10. 'मुख्य मंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना' के अन्तर्गत प्रदेश में नवीन खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को रियायते एवं अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु शासकीय व्यय की व्यवस्था खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आय-व्ययक में प्रतिवर्ष कराया जायेगा।

'मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना' के अन्तर्गत संचालित उद्योगों द्वारा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम/विनियम, 2011 का अनुपालन किया जायेगा।

इकाई द्वारा लिये गये ऋण एवं ब्याज की अदायगी बैंक को करने के पश्चात इकाई को ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु आगणित धनराशि उसके खाते में अंतरित कर दी जायेगी जिसका आधार त्रैमासिक हो अथवा बैंक एवं इकाई के मध्य जो भी अनुबंध हो, उसके अनुसार किया जायेगा।

यदि इकाई द्वारा जानबूझकर बैंक का ऋण अदा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी। भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र दिनांक-01 जुलाई, 2015 में 'विलफुल डिफाल्ट' को परिभाषित किया गया है।

यदि इकाई किन्हीं ऐसे कारणों से ऋण अदा करने में असमर्थ हो जाय, जो उसके नियंत्रण से परे है तो ऐसी स्थिति में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को संबंधित बैंक से मामले को टेक-अप कर इकाई के पुनर्वासन हेतु गंभीर एवं सार्थक प्रयास करने होंगे तथा इकाई यदि पुनर्वासन योग्य पात्रता की श्रेणी में आ जाय तो ऐसी इकाई को ब्याज की प्रतिपूर्ति दी जाती रहेगी।

11. यह मिशन योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

12. उक्त बिन्दु संख्या-5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5)(i) में ब्याज उपादान से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-66/58-2-2013-10/2012, दिनांक: 21.01.2013 के अन्तर्गत निर्गत योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा निम्नवत परिवर्तनों के साथ ग्राहय होगी :-

(1) योजना के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रों में-(1) कोल्डचेन, मूल्य सम्वर्धन तथा प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, (2) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी प्रोसेसिंग एवं कलेक्शन सेन्टर की स्थापना तथा (3) रीफर व्हीकल्स/मोबाईल प्री कूलिंग वैन-समावेशित माने जायेंगे।

(2) उक्त बिन्दु संख्या-5(1) एवं 5(3) हेतु शासनादेश दिनांक: 21.01.2013 में इंगित पात्रता तथा परिभाषायें के अन्तर्गत अन्य के अतिरिक्त तकनीकी सिविल कार्य भी समावेशित माना जायेगा।

http://snasanadesh.up.nic.in

(3) कोल्डचेन मूल्य सम्वर्धन तथा प्रसंस्करण अवसंरचना सुविधाओं का सृजन योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली कोल्ड चेन इकाईयां पात्र होंगी :-

(क) डेयरी-समस्त दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदि।

(ख) मांस-समस्त मांस और मांस उत्पाद आदि।

(ग) जलीय उत्पाद जैसे-प्रान, सी-फूड, मछली और इनके प्रसंस्कृत उत्पाद आदि।

(घ) अन्य ऐसे बागवानी/गैर बागवानी फसलों के खाद्य उत्पाद जिसके निमित्त समेकित कोल्ड चेन की आवश्यकता हो।

कोल्ड चेन, मूल्य सम्वर्धन और परिरक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित घटक मान्य होंगे :-

(अ) प्रक्षेत्र स्तर पर मिनिमल प्रसंस्करण केन्द्र जो तुड़ाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्री-कूलिंग, प्रशीतन, कोल्ड स्टोरेज और इन्डीविजुअली क्वीक फ्रीजिंग (आई0क्यू0एफ0) की सुविधायुक्त हो।

(ब) मोबाईल कूलिंग ट्रक्स और रिफर ट्रक्स जो बागवानी/गैर बागवानी उत्पादों के परिवहन के लिए उपयुक्त हों।

(स) मल्टी प्रोडक्ट कोल्ड स्टोरेज/वैरियेविल चिलिंग/फ्रीजिंग चैम्बर्स, पैकिंग सुविधा, आई.क्यू.एफ. और ब्लास्ट/प्लेट फ्रीजिंग इत्यादि युक्त वितरण हब्स।

(द) विकीरण उपचार सुविधा।

नोट :- कोल्ड चेन अवसंरचना की स्थापना के लिए घटक 'अ' में निवेश अनिवार्य होगा एवं उसके साथ अन्य घटक ब एवं स में से कोई एक घटक में निवेश वैकल्पिक होगा। विकीरण उपचार सुविधा की स्थापना एकल घटक के रूप में इस योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र मानी जायेंगी।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी प्रोसेसिंग एवं कलेक्शन सेन्टर की स्थापना योजनान्तर्गत बागवानी/गैर बागवानी उत्पादों यथा फल, सब्जी, अनाज, दाले, डेयरी उत्पाद, मांस कुक्कुट, मत्स्य आदि से सम्बन्धित प्राइमरी प्रोसेसिंग सेण्टर/कलेक्शन सेण्टर आच्छादित होंगे।

इस प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों (पी0पी0सी0)/संग्रहण केन्द्रों (सी0सी0) के स्थापना की योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित होने चाहिए :

(1) न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 1 से 2 एकड़।

(2) न्यूनतम प्रसंस्करण सुविधा जैसे-तुलाई की सुविधा, सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्री-कूलिंग, सी.ए./एम.ए. कोल्ड स्टोरेज, ड्राई वेयर हाउसेज और आई.क्यू.एफ. सुविधा।

(3) खराब होने वाले कृषि उत्पादों/बागवानी उत्पादों/डेयरी/मांस/मत्स्य उत्पादों का परिवहन करने योग्य मोबाइल प्री-कूलिंग ट्रक्स और रीफर ट्रक्स।

(5) **रीफर व्हीकिल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन** योजना के अन्तर्गत बागवानी एवं गैर बागवानी फसलों के उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने/परिवहन हेतु नवीन रिफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन (एक अथवा एक से अधिक) पात्र होंगे।

.....7/-

http://sinasanadesh.up.nic.in

रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन की इस योजना में ऐसे रिफर कन्टेनर को अर्ह नहीं माना जायेगा, जो वाहन के ऊपर स्थायी रूप से माउन्टेड न हो।

(6) स्वीकृत ब्याज उपादान सुविधा का निरस्तीकरण/वसूली के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक: 02.11.2016 के प्रस्तर-10 की व्यवस्था भी लागू मानी जायेगी।

(7) उक्त योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आनलाईन आवेदन किया जाना होगा। आवेदन के साथ अभिलेख प्रारूप-क से प्रारूप-ज के अनुसार संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(8) उक्त शासनादेश दिनांक: 02.11.2016 में 25.00 करोड़ से अधिक का स्थायी पूँजी निवेश करने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा वैट/केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति हेतु संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप-य पर आनलाईन सुसंगत वांछित अभिलेखों सहित आवेदन करना होगा।

(9) खाद्य प्रसंस्करण विषय में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टीफिकेट कोर्स चलाने हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु अनुमन्य अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए योजनान्तर्गत राजकीय क्षेत्र के समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/कालेज सहायता हेतु पात्र होंगे। खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा खाद्य प्रसंस्करण या खाद्य विज्ञान में बीटेक/एमटेक डिग्री अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा में प्रबन्धन की डिग्री, तीन वर्षीय बी.एससी./दो वर्षीय एम.एससी. खाद्य प्रौद्योगिकी अथवा फूड प्रोसेसिंग या खाद्य विज्ञान अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा में प्रबन्धन/एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा या खाद्य प्रौद्योगिकी में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठयक्रम/ खाद्य प्रसंस्करण/खाद्य विज्ञान अथवा खाद्य प्रौद्योगिकी या खाद्य सुरक्षा में प्रबन्धन डिप्लोमा और डेयरी प्रोडक्टस प्रसंस्करण तकनीकी, मीट प्रसंस्करण तकनीकी, मत्स्य तकनीकी में यूजी/पीजी अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता हेतु पात्र होंगें जिसमें पाठयक्रम की शुरूआत करने के साथ-साथ उक्त पाठयक्रमों हेतु उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के उच्चीकरण भी अनुमन्य होगा। पाठ्यक्रम को किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त होनी अनिवार्य होगी।

भवदीय,

<u>संलग्नक::यथोक्त।</u>

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-54/2016/997(1)/58-2-2016, तद्दिनांक::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

.....8/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(11) स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, नई दिल्ली।
(12) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(13) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(14) गोपन अनुभाग-1
(15) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(16) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
(17) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(18) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(19) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-54/2016/997/58-2-2016-900(6)/2015, दिनांक-19.12.2016 का संलग्नक।

प्रारूप-क

मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण मिशन, उ0प्र0 योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र

अथोराइज्ड सिगनेटरी का नवीनतम हस्ताक्षरित फोटोग्राफ

1	विज्ञापन संख्या व दिनाक जिसके सापेक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया हो-
2	योजना का नाम (जिसके अर्न्तगत वित्तीय सहायता प्राप्त करनी हो)
3	इकाई का नाम व पता
4	इकाई का स्वरूप (प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी (प्रा0लि0/लि0) (साक्ष्य सहित प्रपत्र) (पैन नम्बर/टिन नम्बर साक्ष्य सहित प्रपत्र)
5	मुख्य प्रवर्तक/निदेशकों का नाम एवं पते, फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र के साथ
6	दूरभाष, मोबाइल, ई-मेल, वेबसाइट का विवरण
7	उद्यम पंजीकरण विवरण- संख्या दिनांक (साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छायाप्रति संलग्न करें)
8	पंजीकृत उत्पादों का विवरण-
9	वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसायिक कार्य प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) (सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र)
10	बैंक/वित्तीय संस्थान का विवरण, जहां से ऋण प्राप्त किया गया हो (प्रारूप-घ)
11	प्लाण्ट, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्टस पर होने वाले निवेश पर बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा स्वीकृत ऋण की तिथि, धनराशि, देय ब्याज दर (1.साक्ष्य के रूप में बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र, एग्रेजल नोट एवं अनुबंध पत्र की प्रति संलग्न करें। 2. कोल्ड चेन योजना में स्पेयर पार्टस संबंधी निवेश के विवरण की आवश्यकता नही होगी।)
12	प्लान्ट, मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर पार्टस (कोल्ड चेन योजना को छोड़कर) के निवेश पर बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वितरित/अवमुक्त ऋण की धनराशि एवं दिनांक (1.साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्थान द्वारा जारी प्रपत्र की प्रति करें। 2. कोल्ड चेन योजना में स्पेयर पार्टस संबंधी निवेश के विवरण की आवश्यकता नही होगी।)
13	प्लान्ट व मशीनरी के पूर्ण इन्स्टालेशन के सापेक्ष सक्षम चाटर्ड इंजीनियर(मैकेनिकल) द्वारा इन्स्टालेशन प्रमाण पत्र व संस्तुति तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र (प्रारूप-ग)
14	तकनीकी सिविल कार्य की पूर्णता के सापेक्ष राक्षम आर्किटेक्ट इंजीनियर/चाटर्ड इंजीनियर(सिविल) द्वारा जारी प्रमाण पत्र व संस्तुति तथा अनुमन्य तकनीकी सिविल कार्य पर व्यय का प्रमाण पत्र (गैर सिविल कार्य को छोड़कर) (प्रारूप-च)

दिनांक :.....

हस्ताक्षर एवं मोहर

अथोराइज्ड सिगनेटरी का नामः.....

पताः .....

मोबाइल नं0.....

ई-मेलः.....

संख्या-54/2016/997/58-2-2016-900(6)/2015, दिनांक-19.12.2016 का संलग्नक।

प्रारूप-ख

शपथ पत्र

On non-judicial stamp paper of Rs. 100/-

I ..... S/o ..... Resident of..... ..... director/ proprietor of M/s ..... do hereby solemnly affirms and state as follows :-

That the unit / organisation has not obtained/applied for or will not obtain any grant/subsidy from any Ministry/Department of Central Govt/GOI organization/agencies and State Govt for the same purpose/activity /same components.

or

That the unit / organisation has obtained grant/subsidy from ..... Ministry/Department of Central Govt/GOI organization/agencies and State Govt under the scheme of .....(mention name and scheme of project) for the same purpose/activity / components and applying for remaining subsidy/grant under CMFPMission scheme is hereby enclosing with detailed information .

Deponent

Verification :

Verified that the content of this affidavit are true and correct to the best of the knowledge and belief of the deponent and no part of this affidavit is kept concealed therein, If anything is found false in this Affidavit subsequently deponent and organisation shall be liable jointly and severally for action under the laws, hence verified at _____(Place)_____ on _____(Date)___.

Deponent

Notary Seal & Signature

http..

प्रारूप-ग

मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 योजनान्तर्गत अनुदान हेतु इकाई में स्थापित मशीन उपकरणों का विवरण

1. इकाई का नाम व पता
2. इकाई का स्थल
3. इकाई के कार्यालय का स्थल
4. ई–मेल आइडी
5. मोबाइल / दूरभाष नं०
6. ऋणदाता बैंक का नाम व पता तथा शाखा–
7. बैंक का दूरभाष संख्या
8. बैंक का ई–मेल पता
9. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत का पत्रांक व दिनांक
10. इकाई में स्थापित मशीनों एवं उपकरणों का विवरण

बैंक अप्रेजल के अनुसार प्रस्तावित मशीन उपकरणों का विवरण						चार्टर्ड इन्जीनियर की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में स्थापित मशीनों उपकरणों का विवरण						बैंक अप्रेजल में इंगित मशीन उपकरण (कॉलम–2) एवं वास्तविक स्थापित मशीन उपकरणों (कॉलम–7) में अन्तर की दशा में कारण स्पष्ट करें।
क्र० सं०	मशीन / उपकरणों का नाम	मशीन / उपकरणों का स्पेशिफिकेशन	संख्या	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम व पता	धनराशि (रू० में)	मशीन / उपकरणों का नाम	मशीन / उपकरणों का स्पेशिफिकेशन	संख्या	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम व पता	स्टॉलेशन का दिनांक	वास्तविक धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर
बैंक मैनेजर
(नाम पदनाम मोहर सहित)
दिनांक

हस्ताक्षर
चार्टर्ड इन्जीनियर
(नाम पदनाम मोहर सहित)
दिनांक
पंजीकरण संख्या

हस्ताक्षर
प्रोपराइटर
(इकाई का मोहर)
दिनांक

प्रारूप-घ

Letter Head of the Bank
Certificate

1. Certified that this bank has appraised the project of M/s ………………….. (Name and address of the company) for Chief Minister Food Processing Mission,U.P. (State Interest Subsidy/Grant Scheme) grant as per guidelines of the Department of Horticulture & Food Processing, Govt. of Uttar Pradesh and also sanctioned term loan of Rs.........................……lakh out of which Rs.----------- lakh is towards Plant, machinary ,technical civil work & spare parts(For cold chain loan amount on spare parts would not be calculated for subsidy) .
2. It is further certified that we have released Rs…...................…. lakh (100% of sanctioned term loan) to M/s ………………………….. (Name and address of the unit) in its T/L account No.., MICR.......................... IFSC.....................................
3. We have no objection in releasing interest subsidy as per the guidelines of state government, if sanctioned.
4. If the promoter makes any default in repayment of loan/interst amount, at any stage, the bank shall inform the department of Horticulture & Food Processing, Govt. of UP.

(Signature)
(Name)
(Branch Manager)

Director
Horticulture & Food Processing
Uttar Pradesh

प्रारूप-च

मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 योजनान्तर्गत अनुदान हेतु तकनीकी सिविल कार्य का विवरण

1. इकाई का नाम व पता
2. इकाई का स्थल
3. इकाई के कार्यालय का स्थल
4. ई–मेल आइडी
5. मोबाइल / दूरभाष नं०
6. ऋणदाता बैंक का नाम व पता तथा शाखा–
7. बैंक का दूरभाष संख्या
8. बैंक का ई–मेल पता
9. बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत का पत्रांक व दिनांक
10. इकाई में किये गए तकनीकी सिविल कार्य का विवरण

बैंक अप्रेजल के अनुसार प्रस्तावित तकनीकी सिविल कार्य का विवरण						चार्टर्ड इन्जीनियर (सिविल) की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में किये गये तकनीकी सिविल कार्य का विवरण						बैंक अप्रेजल में इंगित तकनीकी सिविल कार्य (कॉलम–2) एवं वास्तविक तकनीकी सिविल कार्य (कॉलम–7) में अन्तर की दशा में कारण स्पष्ट करें।
क्र० सं०	तकनीकी सिविल कार्य	तकनीकी सिविल कार्य का क्षेत्रफल	दर	कार्यदायी संस्था का नाम व पता	धनराशि (रू० में)	तकनीकी सिविल कार्य	तकनीकी सिविल कार्य का क्षेत्रफल	दर	कार्यदायी संस्था का नाम व पता	कार्य पूर्ण होने की तिथि	वास्तविक धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

हस्ताक्षर
बैंक मैनेजर
(नाम पदनाम मोहर सहित)
दिनांक

हस्ताक्षर
चार्टर्ड इन्जीनियर
(सिविल)
(नाम पदनाम मोहर सहित)
दिनांक

हस्ताक्षर
प्रोपराइटर
(इकाई का मोहर)
दिनांक

प्रारूप–छ

Format for Bank/Financial Institution for releasing Interest subsidy under Chief Minister Food Processing Mission,U.P.

Ref.No.---------- Date:----------

To,

The Director
Department of Horticulture & Food Processing U.P
2-Sapru Marg
Lucknow-226001
Phone (Off):. 0522-2287149
e-mail : upfpmission@gmail.com

S. N.	Particulars		Description
1.	Name of the Company / Firm		
2.	Sector		
3.	Location :		
a)	Address of Unit.	Village/Mohalla	
		Post.	
		District	
		Pin code	
		e-mail	
		Phone no/Mob. no	
b)	Address of Registered Office	Village/Mohalla	
		Post.	
		District	
		Pin code	
		e-mail	
		Phone no/Mob. no	
4.	Item of manufacturing& item wise quantity per annum		
5.	Name & Address of Directors/ Partners / Proprietor (if required attach separate signed sheet).	Name & Designation	
		Village/Mohalla	
		Post.	
		District	
		Pin code	
		e-mail	
		Phone no/Mob. no	
6.	Details of Term Loan sanctioned for establishment of New Food Processing unit. (Rs. in Lakh)	6.1 Name of Bank/ financial Institution	
		Branch	
		District	
		6.2 Account no.	
		6.3 IFSC code	
		6.4 Total Term Loan sanctioned	
		6.5 Loan for New Plant Machinery,Technical civil work & Spare parts sanctioned(Spare parts not required in the case of cold chain scheme)	
		6.6 Loan amount disburse for Plant & Machinery,Technical civil work & Spare parts.(as on date)	
		6.7 Date of Sanction.	
		6.8 Rate of Interest per annum(if floating give details)	
		6.9 Amount of Term Loan disbursed	Date of 1st Disbursement
			Date of last Disbursement

Contd-2

5. That in case of failure of Indemnifiers to refund the amount to state of Uttar Pradesh, the state government will have a right to recover the amount paid to the Indemnifier No. 1 from the Indemnifiers as an arrear of land revenue. senses, out of their free will, without any misrepresentation and undue influence in presence of following witnesses who have also made their signatures on this agreement on the request of parties.

Lucknow
Dated:

Witnesses

1. Name and Address

Authorized Signatory
For and on behalf of Indemnifier No.1
Seal/Stamp of Organization

2. Name and Address

Indemnifier No.2
Name:
Address:

Authorized Signatory
For and on behalf of Indemnity Holder

संख्या-54/2016/997/58-2-2016-900(6)/2015, दिनांक-19.12.2016 का संलग्नक।

प्रारूप-य

	APPLICATION FORMAT FOR VAT REIMBURSEMENT	(Rs.)
1	detalis of tax paid under UPVAT Act & CSTAct	
(a)	Taxpayer identification Number (TIN) issued by Commercial Taxes Department	
(b)	Amount of admitted Tax under VAT deposited for FY----	
(c)	Amount of claim to be reimbursed during the FY.....	
(d)	Amount of refund out of VAT deposited during the period, if obtained	
2	**Documents Requried in Support of VAT paid by the Unit**	
	1 Certificate issued by competent Authority of the Commercial taxes Department 2 Unit level audited accounts for the relevant financial year (for which VAT/CST reimbursment is being claimed) 3 VAT audit Report for the relevant financial year for the Company 4 VAT Audit Repot for the relevant financial year for the unit (stand alone VAT Statement/report for the unit certified by a Chartered Accountant) 5 CA Certificate for sales reconcillation of Manufactured Goods/Trading goods/Scrap/stock transfer and VAT/CST paid towards the same separately.	

http://shasanadesh.up.nic.in